भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4848

दिनांक 31मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जनसंख्या वृद्धि

4848. डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षो के दौरान देश की जनसंख्या में राज्य-वार कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कोई नीति शुरू की हे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नीति अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करनेमें सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को नियंत्रित करनेके लिए कोई अधिनियम कार्यान्वित करने की योजना बना रही है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क): जनसंख्या अनुमानों संबंधी तकनीकी समूह रिपोर्ट, जुलाई 2020 के अनुसार, देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार अनुमानित जनसंख्या, "**अनुलग्नक**" में दी गई है।

(ख) से (घ): सरकार राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने में सरकार के प्रयास सहायक रहे हैं, और इसमें निम्नलिखित प्रगति हासिल की गई है:
• कुल प्रजनन दर 2019-20 (एनएफएचएस 5) में घटकर 2.0 तक रह गई, जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है।
• 36 में से 31 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पहले ही प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता (एनएफएचएस 5) हासिल कर चुके हैं।
• आधुनिक गर्भनिरोधक उपयोग बढ़कर 56.5% (एनएफएचएस 5) हो गया है।
• परिवार नियोजन की अपूरित आवश्यकता घटकर 9.4% (एनएफएचएस 5) रह गई है।
• क्रूड जन्म दर (सीबीआर) 2020 (एसआरएस) में घटकर 19.5 हो गई है।
परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्राप्त सफलताओं को देखते हुए वर्तमान में जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए ऐसे किसी अधिनियम का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुलग्नक (स्रोत: आरजीआई टीजीपीपी रिपोर्ट, जुलाई 2020)			
देश में अनुमानित जनसंख्या			
वर्ष	2020	2021	2022
भारत	1,35,33,78,000	1,36,71,73,000	1,37,97,50,000
जम्मू और कश्मीर (यूटी)	1,33,40,000	1,34,40,000	1,35,38,000
हिमाचल प्रदेश	73,62,000	74,06,000	74,43,000
पंजाब	3,01,79,000	3,04,04,000	3,06,00,000
हरियाणा	2,92,13,000	2,96,04,000	2,99,67,000
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (यूटी)	2,03,19,000	2,07,03,000	2,10,96,000
राजस्थान	7,86,09,000	7,95,72,000	8,04,44,000
उत्तर प्रदेश	22,89,31,000	23,17,04,000	23,40,94,000
बिहार	12,18,95,000	12,36,95,000	12,55,32,000
असम	3,47,93,000	3,51,55,000	3,54,90,000
पश्चिम बंगाल	9,77,19,000	9,82,85,000	9,87,64,000
झारखंड	3,81,15,000	3,86,37,000	3,91,35,000
ओडिशा	4,54,65,000	4,57,93,000	4,60,83,000
छत्तीसगढ़	2,92,37,000	2,96,07,000	2,99,51,000
मध्य प्रदेश	8,37,55,000	8,48,60,000	8,58,91,000
गुजरात	6,91,71,000	7,00,75,000	7,09,34,000
महाराष्ट्र	12,36,76,000	12,47,62,000	12,57,36,000
आंध्र प्रदेश	5,25,99,000	5,28,49,000	5,30,33,000
कर्नाटक	6,64,96,000	6,69,86,000	6,74,09,000
केरल	3,53,68,000	3,55,37,000	3,56,80,000
तमिलनाडु	7,61,67,000	7,64,79,000	7,67,07,000
चंडीगढ़ (यूटी)	11,98,000	12,12,000	12,23,000
उत्तराखंड	1,13,13,000	1,14,39,000	1,15,57,000
सिक्किम	6,72,000	6,78,000	6,84,000
अरुणाचल प्रदेश	15,22,000	15,37,000	15,51,000
नागालैंड	21,77,000	21,98,000	22,18,000
मणिपुर	31,42,000	31,72,000	32,01,000
मिजोरम	12,07,000	12,19,000	12,30,000
त्रिपुरा	40,42,000	40,81,000	41,18,000
मेघालय	32,64,000	32,95,000	33,26,000
दमन और दीव (यूटी)	4,51,000	4,85,000	5,32,000
दादरा और नगरहवेली (यूटी)	5,87,000	6,23,000	6,69,000
गोवा	15,53,000	15,61,000	15,69,000
लक्षद्वीप (यूटी)	68,000	68,000	69,000
पुद्दुचेरी (यूटी)	15,49,000	15,84,000	16,21,000
अंडमान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	3,99,000	4,01,000	4,02,000
तेलंगाना	3,75,36,000	3,77,71,000	3,79,53,000
लद्दाख (यूटी)	2,96,000	2,98,000	2,99,000

*****